

दिनांक/घंटे = मुद्रांक क्र. 105/2015

दिनांक

आज्ञा पत्र

27.10.21

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित
पीठाधीन अधिकारी महोदय आज...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 10.1.22
को पेश हो।

10.1.22

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेसपोडेंट की तामील मेव है।
इस हेतु अपीलान्त शेष रेसपोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिफिकेशन
आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। अपील
अपील का शीघ्रतिथीय निस्तारण किन्हा जा सके
फलस्वरूप वास्तु तलबी रिकार्ड दिनांक 30.3.22
पेश हो।

30.3.22

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेसपोडेंट की तामील मेव है।
इस हेतु अपीलान्त शेष रेसपोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिफिकेशन
आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। अपील
अपील का शीघ्रतिथीय निस्तारण किन्हा जा सके
फलस्वरूप वास्तु तलबी रिकार्ड दिनांक 1.3.22 को
पेश हो।

13.7.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित
पीठाधीन अधिकारी महोदय आज...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29.11.22
को पेश हो।

29.9.22

वकील अपीलान्त उर्फ वकील तलबी फाठ 4-21 4-21 आदि
के अली 0121

पत्रावली पेश। अपीलान्त/रेसपोडेंट के अधिवक्ता ने
जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश
के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण
में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया
जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो
चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण
न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह
अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील
अपीलान्त प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय
सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल
दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प इन्डियन)

